मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जी.पी.एच. केम्पस, पोलोग्राउण्ड, इंदौर के अंतर्गत विधि सहायक एवं कार्यालय सहायक श्रेणी–3 की भर्ती हेतु चयन परीक्षा–2011

परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि		15.11.2011
आनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि		05.12.2011
परीक्षा दिनांक व दिन		रविवार 08.01.2012
परीक्षा षुल्क	सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए	रु. 300/–
	अजा/अजजा वर्ग एवं निःषक्तजन के लिए	कोई षुल्क नहीं
ऑनलाईन आवेदन–पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का षुल्क रु.60/– देय होगा ।		

समय सारणी

क्रमांक	विषय	दिनांक	दिन	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	विधि सहायक	08.01.2012	रविवार	2.30 घंटे	प्रातः 8.00 बजे 10.45 बजे तक	100
2.	कार्यालय सहायक श्रेणी–3	08.01.2012	रविवार	2.30 घंटे	अपरान्ह 2.00 बजे से 4.45 बजे तक	100

टिप्पणीः

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट बाद तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेष की अनुमति दी जाएगी । इसके पष्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेष की अनुमति नहीं होगी ।
2. परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरपुस्तिका एवं प्रष्नपुस्तिका वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा ।
3. परीक्षा कक्ष में सेलुलर, मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।

मध्यप्रदेष पष्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जी.पी.एच. केम्पस, पोलोग्राउण्ड, इंदौर के अंतर्गत विधि सहायक एवं कार्यालय सहायक श्रेणी–3 की भर्ती हेतु चयन परीक्षा–2011

विषय सूची

अध्याय

अध्याय क्र.	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	विधि सहायक एवं कार्यालय सहायक श्रेणी–3 के लिये विभागीय नियम	3
2.	एस.जी.एस.आय.टी.एस. इंदौर द्वारा परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देष	12
3.	पाठ्यक्रम	18
4.	आवष्यक प्रमाणपत्रों के प्रारूप	20

मध्यप्रदेष पष्चिम क्षेत्र विद्‌युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जी.पी.एच. केम्पस, पोलोग्राउण्ड, इंदौर के अंतर्गत विधि सहायक एवं कार्यालय सहायक श्रेणी–3 की भर्ती हेतु चयन परीक्षा–2011

अध्याय–1
विधि सहायक एवं कार्यालय सहायक श्रेणी–3 के लिये विभागीय नियम

1. **सामान्यः** मध्यप्रदेष पष्चिम क्षेत्र विद्‌युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर हेतु म.प्र. षासन के पत्र क्र. .एफ 2–38/2010/तेरह दिनांक 07.09.2011 द्वारा स्वीकृत विधि सहायक एवं कार्यालय सहायक श्रेणी–3 के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए इच्छुक योग्य पुरूष/महिला उम्मीदवार से आवेदनपत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

2. **परिभाषायेंः–**

(i) इन निर्देषों में श्रेणी के तात्पर्य चार श्रेणियों अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा ।

(ii) एस.जी.एस.आय.टी.एस. इंदौर से अभिप्रेत है– श्री गोविंदराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, 23, एम विष्वैसरया मार्ग, इन्दौर – 452003।

(iii) ''समिति'' से अभिप्रेत है–एस.जी.एस.आय.टी.एस. इंदौर एवं एम.पी.पी.के.वि.वि.कं. लिमिटेड, इंदौर द्वारा गठित की गई चयन समिति ।

(iv) ''प्रथम चरण'' से अभिप्रेत है–एस.जी.एस.आय.टी.एस. इंदौर द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा ।

(v) ''द्वितीय चरण'' से अभिप्रेत है– एस.जी.एस.आय.टी.एस. इंदौर द्वारा आयेाजित साक्षात्कार ।

(vi) आयोजक से तात्पर्य एस.जी.एस.आय.टी.एस. इंदौर से है।

(vii) म.प्र. से तात्पर्य मध्यप्रदेष है ।

(viii) एम.पी.पी.के.वि.वि.कं. लिमिटेड, इंदौर से अभिप्राय है मध्यप्रदेष पष्चिम क्षेत्र विद्‌युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर ।

3.0 भरे जाने वाले उपर्युक्त पदों की संख्या का विवरणः–

3.1 भरे जाने वाले उपर्युक्त विधि सहायक के पदों की संख्या का विवरणः–

श्रेणी	कुल रिक्त पदों की संख्या	केवल अस्थि बाधित एवं श्रवण बाधित निःषक्त आवेदकों के लिये होरिजेंटल आरक्षित पदों की संख्या
(अ) अनारक्षित	03	निरंक
(ब) अनुसूचित जाति	01	निरंक
(स) अनुसूचित जनजाति	01	निरंक
(स) अन्य पिछड़ा वर्ग	01	निरंक
कुल रिक्त पदों की संख्या	06	

3.2 भरे जाने वाले उपर्युक्त कार्यालय सहायक श्रेणी–3 के पदों की संख्या का विवरणः–

श्रेणी	कुल रिक्त पदों की संख्या	केवल अस्थि बाधित एवं श्रवण बाधित निरूषक्त आवेदकों के लिये होरिजेंटल आरक्षित पदों की संख्या
(अ) अनारक्षित	30	01
(ब) अनुसूचित जाति	10	01
(स) अनुसूचित जनजाति	12	01
(स) अन्य पिछड़ा वर्ग	08	निरंक
कुल रिक्त पदों की संख्या	60	

4. पदों का वेतनमान :–

सं. क्र.	पद नाम	वेतनमान
1.	विधि सहायक	रु. 9860/– (मूल वेतन) + कंपनी द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते
2.	कार्यालय सहायक–3	रु. 5700/– (मूल वेतन) + कंपनी द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते

5. परीक्षा षहर एवं केन्द्रः– परीक्षा का आयोजन इंदौर षहर में विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर किया जाएगा । निर्धारित परीक्षा के अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केन्द्र टेस्ट एडमिट कार्ड (TAC) में अंकित होगा ।

6. निर्धारित आयु सीमाः– (अभ्यर्थी की आयु की गणना दिनांक 30 सितम्बर, 2011 के आधार पर की जाएगी)

(अ) आयु संगणना की तिथिः–			**30.09.2011**	
(ब) आयु सीमा में श्रेणीवार छूट विवरणः–				
स.क्र.	आवेदक	श्रेणी	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
01	पुरूष	सामान्य/अनारक्षित	21 वर्ष	30 वर्ष
02	पुरूष	आरक्षित– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग	21 वर्ष	30+5 कुल 35 वर्ष
03	महिला	सामान्य/अनारक्षित	21 वर्ष	30 वर्ष

04	महिला	आरक्षित– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग	21 वर्ष	30+5 कुल 35 वर्ष
05	महिला	विधवा/परित्यक्ता/ तलाकषुदा	21 वर्ष	30+5 कुल 35 वर्ष
06	भूतपूर्व सैनिक		21 वर्ष	30+5 कुल 35 वर्ष
07	निःषक्त कार्यालय सहायक श्रेणी–3 पद हेतु		21 वर्ष	30+5 कुल 35 वर्ष

किसी भी अन्य प्रकरण में आयु सीमा षिथिल नहीं की जायेगी । उच्चतर आयु सीमा में षिथिलता चाहने वाले उम्मीदवार को तदाषय का निर्धारित प्रारूप में प्रमाण–पत्र एवं दस्तावेज, सत्यापन के समय पेष करना होगा । जाति प्रमाण पत्र के नमूने इस नियम पुस्तिका के अध्याय–4 में दर्षाए गए हैं ।

7 मूल निवासी संबंधित अर्हताः– अभ्यर्थी को मध्यप्रदेष का मूल निवासी होना अनिवार्य है ।

8 विवाह संबंधी/बच्चे संबंधी अर्हता :–

(1) कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु (पुरूष 21 एवं महिला 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

(2) कोई उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक संतान है एवं तीसरे बच्चे का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पष्चात हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

9 षैक्षणिक योग्यता संबंधित नियमः–

9.1 न्यूनतम षैक्षणिक अर्हताः–

क्र.	पदनाम	ष्षैक्षणिक अर्हतायें
1.	विधि सहायक	किसी भी राज्य/केन्द्र द्वारा मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय या संस्थान से 65 प्रतिषत अंकों के साथ पूर्णकालिक विधि स्नातक। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को अर्हकारी प्राप्तांकों में 10 प्रतिषत की छूट दी जावेगी । 5 वर्षीय विधि स्नातक पाठ्यक्रम के तहत 65 प्रतिषत अंकों के साथ डिग्री प्राप्त उम्मीदवार भी उक्त पद हेतु पात्र होगे।

2.	कार्यालय सहायक श्रेणी–3	किसी भी राज्य/केन्द्र द्वारा मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय या संस्थान से 60 प्रतिषत अंकों के साथ पूर्णकालिक स्नातक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ निःषक्तजनों को अर्हकारी प्राप्तांकों में 10 प्रतिषत की छूट दी जावेगी । अभ्यर्थी को निम्न मान्यता प्राप्त संस्थानों में से किसी एक से कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण करना आवष्यक है (उनके लिए लागू नहीं है जिन्होंने बी.एस.सी. कंप्यूटर साईंस/बीसीए/बी.काम कंप्यूटर साईंस न्यूनतम अर्हता अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो)। (a) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता किसी भी विष्वविद्यालय से डिप्लोमा। (b) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विष्वविद्यालय से डिप्लोमा । (c) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा । (d) किसी भी ष्षासकीय पालीटेकनिक महाविद्यालय से माडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स ।

9.2 निर्धारित षैक्षणिक अर्हता आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक उम्मीदवार को अवष्य होनी चाहिये, अर्थात यदि कोई उम्मीदवार इस वर्ष स्नातक की परीक्षा में बैठा है और उसके पास स्नातक परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो वह परीक्षा में बैठने के लिये पात्र नहीं है ।

10. परीक्षा की योजनाः–

10.1 एस.जी.एस.आय.टी.एस., इंदौर द्वारा एम.पी. आनलाईन, भोपाल के माध्यम से आवेदन–पत्र प्राप्त किए जाएंगे, जिसके साथ कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किए जाने होंगे । ऑनलाईन आवेदन–पत्रों की स्क्रुटनी संबंधी आवष्यक निर्देष अध्याय–2 में दिए गए हैं, जिसके अनुसार लिखित परीक्षा हेतु अंतरिम प्रवेष पत्र एमपी आनलाईन की वेबसाईट ू.mponline.gov.in या एस.जी.एस.आय.टी.एस., इंदौर की वेबसाईट www.sgsits.ac.in पर उपलब्ध होंगे ।

10.2 प्रथम चरण लिखित परीक्षाः—

क्रमांक	पद	प्रष्न—पत्र	अवधि	अधिकतम अंक
1.	विधि सहायक	75ः विषय आधारित एवं 25 : एप्टीटयूड आधारित तथा रीजनिंग संबंधित	2.30 घंटे	100
2.	कार्यालय सहायक श्रेणी—3	60ः अंग्रेजी, गणित, कंप्यूटर व लेखा पाठ्यक्रम संबंधी प्रष्न तथा 40ः सामान्य ज्ञान एवं रीजनिंग संबंधित	2.30 घंटे	100

टीप (क) आवेदक को लिखित परीक्षा के लिये —एस.जी.एस.आय.टी.एस. , इंदौर द्वारा जारी प्रवेष—पत्र तथा काला बॉल प्लाइंट पेन अपने साथ लाना होगा ।

(ख) परीक्षा में किसी प्रकार के केलकुलेटर, मोबाईल एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण आदि के उपयोग की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

(ग) **नकल** — लिखित परीक्षा में जो उम्मीदवार अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए अथवा नकल सामग्री के साथ पकड़ा जावेगा उसे तीन वर्षों के लिए विधि सहायक/कार्यालय सहायक श्रेणी—3 आदि प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जायेगा तथा अन्य उचित वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी । लिखित परीक्षा हाल में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रवेष दिया जावेगा जिनके पास एस.जी.एस. आय.टी.एस., इंदौर द्वारा जारी प्रवेष—पत्र होगा ।

10.3 लिखित परीक्षा की गुणावगुण (मेरिट) सूचीः

एस.जी.एस.आय.टी.एस., इंदौर द्वारा लिखित परीक्षा का परीक्षा परिणाम व रोल नंबर क्रम में सूची, आरक्षण संबंधी समस्त नियमों को ध्यान में रखते हुए तैयार कर एम.पी.पी.के.वि.वि.कं. लिमिटेड, इंदौर को उपलब्ध कराई जायेगी । उम्मीदवारों को परीक्षा परिणाम की जानकारी एस.जी.एस.आय.टी.एस. इंदौर /एमपी आनलाईन तथा एम.पी.पी.के.वि.वि.कं. लिमिटेड, इंदौर द्वारा वेबसाईट पर दी जायेगी।

विज्ञापित रिक्त पदों की विभिन्न श्रेणी/वर्ग के अन्तर्गत तीन गुना संख्या में अभ्यर्थियों को प्रथम चरण की परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के अनुसार साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। श्रेणी/वर्ग अनुसार 3 गुनी संख्या के अंतिम उम्मीदवार के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को द्वितीय चरण की परीक्षा (साक्षात्कार) का अवसर दिया जावेगा, भले ही कुल संख्या 3 गुना से अधिक हो जावे ।

विधि सहायक एवं कार्यालय सहायक श्रेणी–3, दोनों पदों के लिए पृथक पृथक सूची बनायी जायेगी।

10.4 द्वितीय चरण–

प्रथम चरण मे ंसफल घोषित उम्मीदवारों को द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये एस.जी.एस.आय.टी.एस., इंदौर द्वारा निष्चित स्थान, तिथि एवं समय की सूचना वेबसाईट या डाक द्वारा दी जायेगी । द्वितीय चरण के अंतर्गत साक्षात्कार की कार्यवाही आयोजित करायी जावेगी ।

10.5 साक्षात्कारः

एस.जी.एस.आय.टी.एस., इदौर एवं एम.पी.पी.के.वि.वि.कं. लिमिटेड, इंदौर द्वारा गठित चयन समिति द्वारा लिया जायेगा, जिसका आयोजन एस.जी.एस.आय.टी.एस. करेगा । दोनों पदों के साक्षात्कार हेतु अधिकतम 25 अंक होंगे ।

आवेदक अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं करेंगे, परन्तु साक्षात्कार के समय सत्यापन हेतु निम्न मूल दस्तावेज या डाक्युमेंट एवं उनकी स्वयं के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रति प्रस्तुत करना आवष्यक होगा।

(1) जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में हाई स्कूल की प्रमाणित अंक सूची जिसमें जन्म तिथि लिखी हों ।

(2) आवष्यक षैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र ।

(3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलियर) के सभी उम्मीदवार षासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र । प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय इत्यादि इसमें सुस्पष्ट होना चाहिए । प्रमाण–पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र इस विज्ञापन के साथ भी प्रकाषित किये जा रहे हैं।

(4) नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र (केवल षासकीय/अर्धषासकीय/सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत उम्मीदवार के लिये) ।

(5) इस चयन के लिए पात्र निःषक्त उम्मीदवारों के लिए जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी वैध विकलांगता प्रमाणपत्र, जो मध्यप्रदेष षासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में हो प्रस्तुत करना होगा ।

नोट– दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटोप्रति तथा मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे । अप्रमाणित प्रति को मान्य नहीं किया जायेगा। अध्याय–4 में वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी यदि कोई संबंधित प्रारूप षेष रह जाता है तो वह षासन के द्वारा जारी किए गए प्रारूप के अनुसार होगा ।

10.6 चयन सूचीः

नोटः– द्वितीय चरण में साक्षात्कार की कार्यवाही एस.जी.एस.आय.टी.एस., इंदौर एवं एम.पी.पी.के.वि.वि.कं. लिमिटेड, इंदौर द्वारा गठित चयन समिति द्वारा एस.जी.एस.आय.टी.एस. इंदौर द्वारा आयोजित कराई जावेगी, जिसमें सफल उम्मीदवारों के प्राप्तांकों सहित सूची एम.पी.पी.के.वि.वि.कं. लिमिटेड, इंदौर को उपलब्ध कराई जायेगी ।

उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही के पष्चात् भर्ती के लिए अंतिम गुणावगुण सूची (मेरिट लिस्ट) लिखित परीक्षा में एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार कर एस.जी.एस.आय.टी.एस., इंदौर द्वारा एम.पी.पी.के.वि.वि. कंपनी लिमिटेड, इंदौर को उपलब्ध कराई जायेगी जिसके आधार पर उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची प्रकाषित की जायेगी ।

पारस्परिक वरीयताः–

समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरिष्ठता लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर निर्धारित की जावेगी । लिखित परीक्षा में भी अंक समान होने पर आयु के आधार पर आपसी सहवरिष्ठता निर्धारित की जावेगी । अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी । उपरोक्त संदर्भ में यह आवष्यक नहीं है कि अंतिम CUT-OFF मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जावे ।

10.7 प्रतीक्षा सूचीः–

विज्ञापित किये गये रिक्त पदों की संख्या के बराबर अभ्यर्थियों के नामों को सम्मिलित करते हुए गुणावगुण के क्रम में एक प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी । यह प्रतीक्षा सूची वित्तिय वर्ष 2011–12 समाप्ति तक वैध रहेगी । यदि अंतिम चयन सूची में चयनित कोई अभ्यर्थी निष्चित समय–सीमा में उपस्थित नहीं होता है तो प्रतीक्षा सूची में से अभ्यर्थियों को गुणावगुण के क्रम में नियुक्ति प्रस्तावित की जाएगी ।

10.8 नियुक्तिः–

एम.पी.पी.के.वि.वि.कं. लिमिटेड, इंदौर द्वारा नियुक्ति के पूर्व उम्मीदवार की अर्हता, श्रेणी, वर्ग, आदि सहित अन्य अर्हताओं व अनर्हताओं से संबंधित मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा । दस्तावेज सही नहीं पाये जाने पर नियुक्ति पत्र नहीं दिया जायेगा । चयनित उम्मीदवारों के संबंध में चरित्र सत्यापन कराया जायेगा तथा केवल 'अनुकूल' चरित्र पाये जाने वाले, चयन सूची में स्थान पाने वाले उम्मीदवारों के विषय में ही नियुक्ति पर विचार किया जायेगा । उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण भी कराया जायेगा। नियुक्ति के लिये पात्रता हेतु उम्मीदवार को 'मेडिकली फिट' होना भी अनिवार्य है ।

उम्मीदवारों को चरित्र सत्यापन फार्म में पूरी एवं सही सही जानकारी भरना चाहिए, कोई झूठी जानकारी, अधूरी जानकारी, अर्धसत्य जानकारी नहीं देना चाहिये । कोई जानकारी छिपाना भी नहीं चाहिए । विषेष कर चरित्र सत्यापन फार्म के कालम नंबर 12 में सही सही जानकारी भरना आवष्यक है । अब मध्यप्रदेष षासन के चरित्र सत्यापन संबंधी नए दिषा

निर्देषों के अनुसार अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन के संबंध में इस आषय का षपथ पत्र देना आवष्यक है जिसमें आपराधिक प्रकरणों के संबंध में उनके द्वारा उसके पूर्ववत के अन्तर्गत दिए गए विवरणों मे ंउसने किसी तथ्य को जानबूझकर जानते हुए नहीं छिपाया है।

(1) नियुक्ति के लिए चुने गये उम्मीदवारों को प्रषिक्षण संस्था में उपस्थित होने के लिए प्रयोजनार्थ की जाने वाली यात्रा का किराया तथा भत्ता नहीं दिया जायेगा । प्रषिक्षण संस्थान में उपस्थित होने पर प्रषिक्षण में प्रवेष के पूर्व उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा जिसमें उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ होना आवष्यक होगा । केवल योग्य पाये उम्मीदवारों को ही नियुक्ति दी जावेगी, अयोग्य उम्मीदवारों को वापस भेज दिया जावेगा।

(2) जिस पद के लिए चयन किया जावेगा केवल उसी पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा और उसी संवर्ग में आगे पदोन्नति/पदस्थापना की जावेगी ।

(3) नियुक्त कर्मचारियों की अंतरिम आपसी सहवरिष्ठता चयन परीक्षा के परिणाम के आधार पर निर्धारित की जावेगी तथा अंतिम आपसी सहवरिष्ठता चयन परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं प्रषिक्षण के दौरान प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित की जावेगी ।

(4) निर्धारित प्रषिक्षण से स्थायी या अस्थायी छूट का कोई प्रावधान नहीं है । प्रषिक्षण पर निर्धारित समय में उपस्थित न होने वाले चयनित उम्मीदवारों का नाम चयन सूची से हटा दिया जाएगा/नियुक्ति प्रस्ताव वापस ले लिया जावेगा। इस संबंध में मेडिकल प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा ।

(5) प्रषिक्षण/कार्य के दौरान कंपनी की आवष्यकतानुसार चयनित उम्मीदवार की पद स्थापना कंपनी क्षेत्र अथवा कंपनी की सहायक इकाइयों में की जा सकेगी ।

(6) नियुक्ति के उपरान्त प्रत्येक चयनित उम्मीदवार को दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा । परिवीक्षा की अवधि को आवष्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।

(7) नियुक्ति के समय चयनित उम्मीदवार को पांच वर्ष की अवधि का सेवा अनुबंध (कंपनी के निर्धारित प्रपत्र में) निष्पादित करना होगा, जो निम्नानुसार होगाः–

पदनाम	सेवा अनुबंध की राषि	
	सामान्य/अन्य पिछड़ावर्ग	अनुसूचित जाति एवं जनजाति
विधि सहायक	1.00 लाख	50 हजार
कार्यालय सहायक श्रेणी–3	50 हजार	25 हजार

(8) **सूचना अवधिः** पद से त्यागपत्र देने की स्थिति में उम्मीदवार को प्रषिक्षण के दौरान एक माह एवं नियमित होने के बाद 3 माह पूर्व कंपनी को लिखित रूप में सूचित करना होगा या इस अवधि का वेतन जमा करना होगा । यद्यपि उम्मीदवार की कार्यकुषलता उचित नहीं पाये जाने पर कंपनी द्वारा किसी भी समय एक माह की पूर्व सूचना या समकक्ष वेतन देकर सेवा से पृथक किया जा सकेगा।

10.9 **प्रषिक्षणः—**

नियुक्ति उपरान्त निर्धारित अवधि में निर्धारित मानक स्तर से प्रषिक्षण उत्तीर्ण करना आवष्यक होगा । प्रषिक्षण सत्र प्रारम्भ होने की सूचना चयनित उम्मीदवारों को पृथक से भेजी जावेगी। चयनित अभ्यर्थियों को विहित की गई अंतिम तारीख को या उसके पूर्व कंपनी में प्रषिक्षण के लिए उपस्थित होना होगा । यदि अभ्यर्थी, नियुक्ति प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना निष्चित समयावधि में उपस्थित होने में असमर्थ रहता है, तो उसका नाम चयन सूची से हटा दिया जायेगा । प्रषिक्षण की अवधि 6 माह की होगी जो आवष्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकेगी । प्रषिक्षण के दौरान विधि सहायक को रु. 9,300/— प्रतिमाह एवं कार्यालय सहायक श्रेणी—3 को रु. 5700/— प्रतिमाह प्रषिक्षु भत्ता देय होगा ।

प्रषिक्षण में प्रवेष लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रषिक्षण सफलता पूर्वक उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रषिक्षण उत्तीर्ण करने के लिए एक अवसर प्रदान किया जाएगा । अभ्यर्थी जब तक सफलतापूर्वक प्रषिक्षण उत्तीर्ण नहीं कर लेता तब तक उसे प्रषिक्षण में ही रखा जायेगा। प्रषिक्षण के दौरान उपलब्धता होने पर प्रषिक्षु की रहने की व्यवस्था की जाएगी अन्यथा उसे स्वयं की व्यवस्था करनी होगी । प्रषिक्षण के दौरान प्रषिक्षु का समूह बीमा किया जाएगा जिसमें आकस्मिक दुर्घटना की क्षतिपूर्ति रु.1.00 लाख तक होगी । (बीमा राषि प्रषिक्षु के प्रथम प्रषिक्षु भत्ते से काटी जावेगी) ।

11 **यात्रा किरायाः—**

मध्यप्रदेष षासन के प्रचलित नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं केवल अस्थि बाधित एवं श्रवण बाधित निःषक्त उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिए योग्य उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति मध्यप्रदेष पष्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर द्वारा की जाएगी । पात्र अभ्यर्थियों को गन्तव्य स्थल तक लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में भाग लेने के न्यूनतम दूरी के लिए द्वितीय श्रेणी का रेल/बस किराया देय होगा ।

12 चयन प्रक्रिया एवं सेवा से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार ;श्रनतपेकपबजपवदद्ध इंदौर रहेगा ।

13 नियमितीकरण के पष्चात् कंपनी द्वारा अनिवार्य नवीन अंषदायी पेंषन योजना लागू होगी।

अतिरिक्त सचिव
मध्यप्रदेष पष्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर

मध्यप्रदेष पष्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जी.पी.एच. केम्पस, पोलोग्राउण्ड, इंदौर के अंतर्गत विधि सहायक एवं कार्यालय सहायक श्रेणी–3 की भर्ती हेतु चयन परीक्षा–2011

अध्याय–2
एस.जी.एस.आय.टी.एस. इंदौर द्वारा परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देष

परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देष

पदनाम	पद का प्रकार
विधि सहायक	गैर तकनीकी पद
कार्यालय सहायक श्रेणी–3	गैर तकनीकी पद

2.1 इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे, जिसमें अलग–अलग पदों हेतु विकल्प रहेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी षैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान मे ंरखते हुए आवेदित पद स्पष्ट रूप से दिया जाना होगा ।

2.2 ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जाएगा । अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा अलग अथवा असत्य जानकारी दी गई है अथवा किसी जानकारी को छुपाया है, ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर संस्था प्रमुख/एम.पी.पी.के.वि.वि.कं.लि., इंदौर/एस.जी.एस.आय.टी.एस.,इंदौर द्वारा प्रवेष/चयन/ नियुक्ति निरस्त किया जा सकेगा।

2.3 ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ कोई भी प्रमाण–पत्र/दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है, किन्तु नियुक्ति के पूर्व समस्त प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों का सत्यापन एम.पी.पी.के.वि.वि.कं. लि., इंदौर के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी दृष्टिगोचर होने पर अभ्यर्थिता निरस्त समझी जायेगी ।

2.4 स्क्रूटनी/ऑनलाईन आवेदन–पत्र का निरस्तीकरणः–

ऑनलाईन पद्धति से निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन–पत्रों की स्क्रूटनी निम्न बिन्दुओं पर की जायेगीः–

क्र.	विवरण
1.	अभ्यर्थी का फोटो
2.	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
3.	श्रेणी
4.	संवर्ग
5.	लिंग
6.	मूल निवासी
7.	जन्मतिथि

जिस अभ्यर्थी के आवेदन के साथ अभ्यर्थी का फोटो प्राप्त नहीं होता है, उसका आवेदन–पत्र अमान्य कर दिया जाएगा तथा किसी भी स्थिति में उसे मान्य नहीं किया जाएगा।

2.6 **परीक्षा प्रवेश–पत्र (Test Admit Card)** :–

नियमानुसार मान्य आवेदन–पत्र के अभ्यर्थियों को ऑनलाईन प्रवेष–पत्र एमपी आनलाईन की वेबसाईट www.mponline.gov.in/एस.जी.एस.आय.टी.एस. इंदौर की वेबसाईट sgsits.ac.in पर अपलोड किए जायेंगे । अभ्यर्थियों को प्रवेष–पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे ।

प्रवेष–पत्र प्राप्त करने की प्रक्रियाः– अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक का प्रयोग करते हुए प्रवेष–पत्र उक्त वेबसाईट से डाउनलोड कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं । डाउनलोड किए हुए प्रवेष–पत्र को सत्यापित करवाने की आवष्यकता नहीं होगी ।

नोट– प्रवेष पत्र जारी होने के उपरान्त किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा।

2.7 **परीक्षा षहरः–** सिर्फ इंदौर

एस.जी.एस.आय.टी.एस. इंदौर अपनी सुविधानुसार परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है।

2.8 **परीक्षा षुल्कः–**

उक्त परीक्षा में परीक्षा षुल्क अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए रु. 300/– तथा वर्तमान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःषक्तजन के लिए कोई षुल्क नहीं है । ऑनलाईन आवेदन–पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का षुल्क रु.60/– अतिरिक्त देय होगा।

2.9 परीक्षा हाल में ले जाने वाले आवष्यक सामग्रीः–

प्रवेष–पत्र, काला बॉलप्वाइंट पेन ।

2.10 इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के ब्संबनसंजवत उपयोग की मनाही है अर्थात– Scientific Calculator, Mobile Phone, Programamble Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording devices, Protractor, Compasses, Scales आदि पूर्णतः वर्जित है।

2.11 **लिखित परीक्षा का विवरणः–**

क्रमांक	विषय	दिनांक	दिन	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	विधि सहायक	08.01.12	रविवार	2.30 घंटे	प्रातः 8.00 बजे 10.45 बजे तक	100
2.	कार्यालय सहायक श्रेणी–3	08.01.12	रविवार	2.30 घंटे	अपरान्ह 2.00 बजे से 4.45 बजे तक	100

नोटः– परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व का समय OMR षीट भरने एवं प्रष्नपुस्तिका की जांच के लिए निर्धारित है।

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रष्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रष्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे । परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरषीट पर काले बॉल प्लाइंट पेन से काला करना होगा।

2.12 अनुचित साधन (Unfair means, UFM)

अनुचित साधन (यू.एफ.एम.):– निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम. के अंतर्गत माना जावेगा) :–

(क) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क ।

(ख) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना ।

(ग) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना ।

(घ) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईषारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना ।

(ड) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरषीट या प्रष्न पुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।

(च) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरषीट या प्रष्नपुस्तिका की अदला–बदली करना ।

(छ) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करने या उसे स्वयं नष्ट करना ।

(ज) नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना ।

(झ) सक्षम अधिकारी के निर्देषों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देषों का पालन न करना ।

(ञ) सक्षम अधिकारी के निर्देषानुसार उत्तरषीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना ।

(ट) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेषान करना, धमकाना या षारीरिक चोट पहुंचाना ।

उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी । अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जाएगा । इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवष्यक कार्यवाही हेतु सौंपा जायेगा और उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा । पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है । ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे । साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा ।

मध्यप्रदेष पष्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर एस.जी.एस.आय.टी.एस.,इंदौर को अवगत कराया जायेगा, ताकि संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके ।

2.13 मूल्यांकन पद्धतिः–

प्रष्नपत्र में चार विकल्पों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रष्न पूछे जाएंगे । एक विकल्प सही उत्तर होगा । वस्तुनिष्ठ प्रष्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा । गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रष्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप षून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा । ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।

2.14 त्रुटिपूर्ण प्रष्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंकः–

परीक्षा उपरांत एस.जी.एस.आय.टी.एस.,इंदौर द्वारा विषय विषषज्ञों से प्रष्नपत्र के प्रत्येक प्रष्न का परीक्षण कराया जाता है । विषय विषेषज्ञों द्वारा किसी प्रष्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रष्न को निरस्त कर दिया जाता है । निम्नलिखित कारणों से प्रष्न निरस्त किए जा सकते हैंः–

1. प्रष्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो ।
2. प्रष्न की संरचना गलत हो ।
3. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हो ।

4. कोई भी विकल्प सही न हो ।
5. यदि प्रष्न–पत्र के किसी प्रष्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न–भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो ।
6. कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
7. अन्य कोई कारण, जिसे विषय विषेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये ।

प्रष्न पत्र विषय विषेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुषंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रष्नों के लिए सभी को इस प्रष्न–पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में अंक दिए जाएंगे । भले ही उसने निरस्त किए गए प्रष्नों को हल किया हो या नहीं ।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी 200 प्रष्नों के प्रष्न पत्र में 2 प्रष्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद अभ्यर्थी 198 में 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिए 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को षून्य गिना जावेगा ।

$$\frac{90 \times 200}{200 - 2} = 90.90 = Rounded\ off\ to\ 91.00$$

नोट :– सभी गणना को दो दषमलव तक राउंड ऑफ किया जावेगा।

2.15 प्रष्नपुस्तिका के प्रष्नों के संबंध में अभ्यावेदनः–

प्रष्न–पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रष्नों/उत्तरों के सबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियां निर्धारित प्रोफार्मा प्रारूप–5 में आवष्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर निदेषक कार्यालय, एस.जी.एस.आय.टी.एस. इंदौर में प्रस्तुत की जा सकती है।

बिन्दु क्रमांक 2.14 अनुसार एस.जी.एस.आय.टी.एस. इंदौर द्वारा प्रष्न–पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण प्रष्नों के साथ–साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम ''की'' (आदर्ष उत्तर) तैयार की जायेगी । आदर्ष उत्तरों के संबंध में एस.जी.एस. आय.टी.एस. इंदौर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा ।

2.16 परीक्षा परिणाम का प्रकाषनः–

अध्याय–1 से 2 में उल्लेखित नियमों के आधार पर एस.जी.एस.आय.टी.एस.,इंदौर द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी जिसे एम.पी.पी.के.वि.वि.कं.लि., इंदौर/एस.जी.एस.आय.टी.एस. इंदौर की वेबसाईट www.sgsits.ac.in पर उपलब्ध कराया जावेगा ।

2.17 एस.जी.एस.आय.टी.एस., इंदौर का कार्य प्रवेष परीक्षा का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगाः–

परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार एस.जी.एस.आय.टी.एस. इंदौर का होगा । एस.जी.एस.आय.टी.एस. इंदौर अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संषोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं उसके द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संषोधन बंधनकारी होगा । अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह पष्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिए जाएंगे ।

2.18 न्यायिक क्षेत्राधिकारः–

परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं की विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) इंदौर रहेगा ।

निदेषक

एस.जी.एस.आय.टी.एस., इंदौर

मध्यप्रदेष पष्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जी.पी.एच. केम्पस, पोलोग्राउण्ड, इंदौर के अंतर्गत विधि सहायक एवं कार्यालय सहायक श्रेणी–3 की भर्ती हेतु चयन परीक्षा–2011

अध्याय–3
पाठ्यक्रम

विधि सहायक की लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम

The question paper shall have two parts as follows:
(A) Law based questions shall cover the following topics (75 Marks)

1- Indian Constitutional Law
2- Indian Contract Act, 1872
3- Factories Act, 1948
4- Workman Compensation Act, 1923
5- MinimumWages Act, 1948
6- Industrial Dispute Act, 1947
7- Payment of Wages Act, 1936
8- M.P. Industrial Employment (Standard Standing Orders) Act, 1961
9- M.P. Industrial Relation Act, 1960
10- Electricity Act, 2003
11- Companies Act, 1956
12- Indian Penal code, 1861
13- Civil Procedure Code, 1908
14- Indian Evidence Act, 1872
15- Criminal Procedure Code, 1973

(B) General Aptitude and Reasoning (25 Marks)

विधि सहायकों की भर्ती वर्ष 2011–12 हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम
भाग (A) विधि (75 Marks)

1. भारतीय संवैधानिक विधि
2. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
3. कारखाना अधिनियम, 1948
4. कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1948
5. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
6. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
7. मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936
8. मध्यप्रदेष औद्योगिक नियोजन (स्तरीय स्थायी आदेष) अधि., 1961
9. मध्यप्रदेष औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960
10. विद्युत अधिनियम, 2003
11. कंपनी अधिनियम, 1956
12. भारतीय दंड संहिता, 1861
13. व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908
14. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
15. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

(B) General Aptitude and Reasoning (25 Marks)

कार्यालय सहायक– श्रेणी–3 की लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम

भाग (A)   (60 Marks)

General arithmatics, English Grammer (Tenses, Articles, Parts of Speech, Clauses etc.) and Vocabulary, General Accounting, General Computer Knowledge.

सामान्य अंक गणित, सामान्य अग्रेजी– English Grammer (Tenses, Articles, Parts of Speech, Clauses etc.) and Vocabulary] सामान्य लेखा, सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान,

भाग (B)   (40 Marks)

General Knowledge - State of Madhya Pradesh, General Awareness on National and International matters, History, Geography, Economics, Political Science, Social Science and Science, General Aptitude, Genral Mental ability and Reasoning.

सामान्य ज्ञान– मध्यप्रदेष राज्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सामान्य जानकारी, इतिहास, भूगोल, अर्थषास्त्र, राजनीति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान, जनरल एप्टीट्यूड, सामान्य बुद्धि गुणवत्ता एवं रीजनिंग ।

मध्यप्रदेष पष्चिम क्षेत्र विद्‌युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जी.पी.एच. केम्पस, पोलोग्राउण्ड, इंदौर के अंतर्गत विधि सहायक एवं कार्यालय सहायक श्रेणी–3 की भर्ती हेतु चयन परीक्षा–2011

अध्याय–4
प्रमाण–पत्रों के प्रारूप

प्रारूप–1

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये स्थायी जाति प्रमाण पत्र

ऐसे उम्मीदवार, जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के नाते, आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हों तो निम्नांकित प्राधिकारियों में से किसी एक प्राधिकारी से निम्न प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें :–

1. जिलाध्यक्ष/अपर जिलाध्यक्ष/उप जिलाध्यक्ष/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अथवा जिलाध्यक्ष द्वारा अधिकृत अन्य कोई अधिकारी।

स्थाई प्रमाण पत्र नीचे लिखे प्रारूप के अनुसार होना चाहिये –

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग...जिला...मध्य प्रदेश
पुस्तक क्रमांक......................................
प्रमाण पत्र क्रमांक...................................प्रकरण क्रमांक................................

स्थायी जाति प्रम्रमाण पत्र–नियम 8 (1)

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी..
....
पिता/पति का नाम ....निवासी/ग्राम/नगर ....
...............विकास खण्ड....................... तहसील..........................जिला...............................संभाग.............
.............................जाति/जनजाति का/की सदस्य हैं और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया हैं और यह .... जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की सूची में अनुक्रमांक.........पर अंकित हैं, अतः श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम .... अनुसूचित जाति/ जनजाति का/की हैं ।

2. प्रमाणित किया जाता हैं कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी..के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये................................हैं।

दिनांक ....

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, पदनाम
(सील)

प्रारूप–2

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये
अस्थायी जाति प्रमाण पत्र

ऐसे उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अर्न्तगत अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति के सदस्य होने के नाते, आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हो तथा उनके पास जाति संबंधी स्थाई प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो निम्नांकित प्राधिकारियों में से किसी एक प्राधिकारी से निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें:–

संबंधित (राजस्व) अधिकारी/तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायव तहसीलदार।
अस्थाई प्रमाण पत्र नीचे लिखे प्रारूप के अनुसार होना चाहिये –

(अस्थायी प्रम्रमाण पत्र) नियम 8 (2)
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग...जिला..मध्य प्रदेश
पुस्तक क्रमांक..................................... प्रमाण पत्र क्रमांक...................................प्रकरण क्रमांक..................

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी...
.......................पिता/पति का नाम ....निवासी/ग्राम/नगर ....
वि.ख. ....तहसील..जिला...................................... संभाग......................
.............................जाति/जनजाति का/की सदस्य हैं और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रुप मं` विनिर्दिष्ट किया गया हैं और यह ....जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की सूची में अनुक्रमांक...पर अंकित हैं, अतः श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम ....अनुसूचित जाति/ जनजाति का/की हैं ।

2. प्रमाणित किया जाता हैं कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.. ......के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये.....................................हैं।

दिनांक ....

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, पदनाम
(सील)

यह प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेगा।

अन्य पिछड़ा वर्गों के शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये
प्रस्तुत किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप
(स्थायी जाति प्रमाण पत्र) नियम 8(1)
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग..जिला..मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक.................................. प्रमाण पत्र क्रमांक..प्रकरण क्रमांक.
....

जाति प्रमाण पत्र

2. यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी..
............पिता/पति का नाम ....निवास/ग्राम/नगर ....
वि.ख...........................तहसील...........................जिला... संभाग...............
..................................मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो.. जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–8–5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया हैं।

श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम ....
....
और/उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला ....संभाग........................ में निवास करता हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कुमारी...................................
........................क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360/2/22/93/स्था(एस.सी.टी.) दिनांक 8.9.1993 द्वारा जारी सूची के कालम–3 में मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक–एफ–7–26/93/1/आप्र./दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ई' की अनुसूची के कालम (3) मे किया गया हैं

3. प्रमाणित किया जाता हैं कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी ....के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये...हैं।

दिनांक ....

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, पदनाम
(सील)

यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की सूची।
प्रमाणीकरण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया हैं जहां कि अभ्यर्थी एवं उसका परिवार निवास करता हैं।
जिलाध्यक्ष/अपर जिलाध्यक्ष/उप जिलाध्यक्ष/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/जिलाध्यक्ष अथवा शासन द्वारा अन्य प्राधिकृत अधिकारी।

प्रारूप–4

अन्य पिछड़ा वर्गों के शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप (अस्थायी जाति प्रमाण पत्र) नियम 8(2) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग...जिला..मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक...................................
प्रमाण पत्र क्रमांक...प्रकरण क्रमांक..

जाति प्रमाण पत्र

2. यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री / श्रीमती / कुमारी...
पिता / पति का नाम ....निवास / ग्राम / नगर ....
वि.ख.................. ....तहसील...जिला................... संभाग.......................
मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो.......................... जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–8–5 / पच्चीस / 4 / 84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया हैं।

श्री / श्रीमती / कुमारी ....पिता / पति का नाम ....
....
और / उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला ....संभाग में निवास करता हैं। यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री / श्रीमती / कुमारी...क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों / वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक
360 / 2 / 22 / 93 / स्था(एस.सी.टी.) दिनांक 8.9.1993 द्वारा जारी सूची के कालम–3 में मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक–एफ–7–26 / 93 / 1 / आप्र. / दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ई'की अनुसूची के कालम (3) मे किया गया हैं

3. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री / श्रीमती / कुमारी ....
के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये...हैं।

दिनांक ....

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, पदनाम
(सील)

यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों की सूची। प्रमाणीकरण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया हैं जहां कि अभ्यर्थी एवं उसका परिवार निवास करता हैं।
संबंधित राजस्व अधिकारी / तहसीलदार / अतिरिक्त तहसीलदार / नायव तहसीलदार
यह प्रमाण पत्र जारी करने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेंगा।

नोट : वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी यदि कोई संबंधित प्रारूप शेष रह जाता हैं तो वह शासन के द्वारा जारी किए गए प्रारूप के अनुसार होगा।

प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन
(देखें नियम 2.14)

प्रमाणित करता/करती हूं कि मैं मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में सूबेदार, उप निरीक्षक(जि.पु.ब.),उप निरीक्षक (वि.शा.), उप निरीक्षक(क्यू.डी.), उप निरीक्षक(रेडियो), उप निरीक्षक (अं.चि.) एवं प्लाटून कमांडर के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये चयन परीक्षा–2011 में अनुक्रमांक .... से परीक्षा केन्द्र..
.... से सम्मिलित हुआ/हुई हूँ । मेरे द्वारा प्रश्न–पुस्तिका कोड . ...
के सेट क्रमांक................... हल किया गया है । इस प्रश्न–पत्र के निम्नलिखित प्रश्न उल्लेखित कारणों से .त्रुटिपूर्ण हैंः–

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि
का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर.................................
आवेदक का नाम.......................................
परीक्षा का नाम..
अनुक्रमांक..
परीक्षा केन्द्र का नाम...............................

स्थान ....
दिनांक ....

(नोट– यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक एस.जी.एस.आय.टी.एस. इंदौर कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जा सकेगा)